"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2016 — चैत्र 3, शक 1937

कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक/खाद्य/2012/1766. — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 36 की उप-धारा (1) सहपठित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के खण्ड 1.2.1 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/खाद्य/2012/1766 दिनांक 17 मई 2012 को अधिक्रमण करते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा छोटे खाद्य कारबारकर्ता के पंजीयन हेतु अभिहित अधिकारी/खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पंजीयन प्राधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. व्ही. नरसिंग राव, आयुक्त.

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक/खाद्य/2012/1766. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-3-2016, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. व्ही. नरसिंग राव, आयुक्त.

Raipur, the 14tn March 2016

NOTIFICATION

No./ Food/ 2012/1766.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) read with clause 1.2.1 (5) of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, and in supersession of the Previous Notification No. F/Food/ 2012/ 1766 dated 17 May, 2012, the Commissioner Food Safety, Chhattisgarh, hereby appoints Designated officer/Food Safety Officer as Registering Authority for whole Sate of Chhattisgarh for the Registration of small food operators with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. V. NARSINGA RAO, Commissioner.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.